



पत्रक: ए०के०टी०य० / कु०का० / स०वि० / २०१९ / १०९४ / ४२२

दिनांक: १५ मई, २०१९

College Code 422

सेवा में
निदेशक/प्राचार्य,

Bansal Institute of Engineering & Technology,Lucknow

NH-24, Sitapur Road, Behind Sewa Hospital, Lucknow, Uttar Pradesh 226201 , Lucknow

प्रियक: शैक्षिक राज्य २०१९-२० की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
गहनादय/नहोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निवेश हुआ है कि अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा राज्य २०१९-२० हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थीपरान्त की गई संस्थानों एवं इन संस्थानों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या १५३८/सोलह-१-२०१९-१३(१)/२०१८ दिनांक १५.०५.२०१९ के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रतित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन मात्र कार्यपरिषद से अनुशोधन की प्रथाओं में संस्थान को नियन्त्रित विवरण के अनुसार खबरित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक राज्य २०१९-२० हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Agricultural Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	BioTechnology	Shift I	60	60		60
B.Tech	Civil Engineering	Shift II	60	60		60
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	120	120		120
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60	60		60
B.Tech	Electrical Engineering	Shift I	60	60		60
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	90	90		90
B.Tech	Information Technology	Shift I	30	60		60
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	120	120		120
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift II	60	60		60
M.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	18	18		18
M.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18		18
M.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	18	18		18
M.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	18	18		18
MBA	MBA	Shift I	60	60		60


उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता नियन्त्रित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गुणि, ग्रन्थ, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यबर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, ऐंजिन नियोजक तथा विश्वविद्यालय के नियोजक मण्डल द्वारा संस्था के नियोजक मण्डल में दर्शायी गई कौमोर्य/मानकों को पूर्ण कराना अनियाय होगा, अन्यथा की विवादित में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता रखत निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्थग संस्थान/प्राचार्यता का होगा।
- नियोजक मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आचित भी

3. दी.फार्म/एम.फार्म, /दी.आर्क/ /एम.आर्क, पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को कार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागु) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्णि एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावात्मिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रख्य संस्थान/ प्रबन्धनात्र का होगा।
4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डॉ.ए.पी.ओ.ओ. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ.प.प. द्वारा प्रवेश/शुल्क के अनुमन्य पीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा बांधित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अनुच्छा रखतः निरस्त समझी जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता राखेंगी शुल्क न जगा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रखतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रख्य संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ.प.प. प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-४ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की विधि में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अहंता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बद्धित समर्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा। एवं इस आशय का नोटराइज़्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा वियामानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनकी स्वतंत्र सत्यापन में जोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रखतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रख्य संस्थान का होगा।
8. कृतिप्रय संस्थानों गे प्रवेश क्षमता में अग्रिमत्रि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थावपना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2019-20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्भवी जाएगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की विधि से हीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर बयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2019-20 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के रूप से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् रास्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की विधि में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणीय रास्था के बेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की विधि में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25वि.)
13. लैब एवं लुसकों उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समरत सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य बरसा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने पर निरस्त किये जाने या प्रश्नाहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन रखतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउन्सिल आफ इण्डिया (यथा लागु) से सत्र 2019-20 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आवृत्त की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्यसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश उपापत्ति रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रखतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों गे संस्थान सत्र 2019-20 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न हो काउन्सिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट एवं प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान रखतः उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औरक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औरक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिकोण सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभावात्मिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के समन्वय में शासन अथवा विश्वविद्यालय रखत से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए असरण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश भानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों रो नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अधिकार किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की रिप्टि में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
21. विभिन्न संबंधों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस रिप्टि में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डॉनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्र०वि०/कुस० का०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनियायता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कठिपय कारणोंवश यदि ऐसा समाव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतम परीक्षा परिणाम के कारण कठिपय संस्थानों की स्थीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2019-20 हेतु रखगित रखा गया है। आगामी सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के रूपमें 5 या 6 (यद्या लागू) में रूपमें 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विद्यलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की रिप्टि में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका ताम्युरी उत्तरदायित्व स्वर्थ संस्थान/प्रबन्धतत्र का होगा।



(नन्द किशोर सिंह)
बुलसदिय

पृष्ठांकन संख्या ५ दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्यसंचिव, मा० कौलाधिपति/ श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिकारी तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।